केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल

सूचना

केऔसुब में पैरामेडिकल कार्मिकों की भर्ती – 2026

ऑनलाइन आवेदन आरम्भ होने की तिथि : 08/06/2026
अंतिम तिथि : 07/07/2026 (2359 बजे तक)

केंन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल में, 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर –5 में वेतन (29,200 – 92,300 /–) और समय–समय पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय सामान्य और स्वीकार्य भत्तों सहित, पैरा मेडिकल कार्मिकों के अस्थायी पदों को भरने के लिए **पात्र पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों** से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । उनकी नियुक्ति पर, वे केऔसुब अधिनियम और नियमों के साथ–साथ समय–समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत शासित होंगे। वे 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केन्द्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू **"परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में जाना जाता है"** के अनुसार पेंशन लाभों के हकदार होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

1.1 योग्य उम्मीदवार **केवल एक पद के लिए** आवेदन कर सकते हैं।

1.2 यह भर्ती **पुरुष/महिला सभी उम्मीदवारों** के लिए है।

1.3 भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज जांच, सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी) और चिकित्सा परीक्षा शामिल हैं जो निर्धारित और आयोजित की जाएगी।

1.4 यह भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी।

1.5 परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। केऔसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर प्रवेश प़त्रों को डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी अपडेट के लिए और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है।

1.6 भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए आरक्षित हैं। यदि योग्य भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को गैर– भूतपूर्व सैनिक यानी सीधी भर्ती के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

2. **राष्ट्रीयता/नागरिकता: उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।**

3. **रिक्तियां:**

पद का नाम	सामान्य	ई डब्लयू एस	अ0पि0 व0	अनु0 जाति	अनुसुचित जनजाति	कुल	भूतपूर्व सैनिक
सहायक उप निरीक्षक (फार्मासिस्ट)	10	01	04	02	01	18	02
सहायक उप निरीक्षक (एक्स–रे टेक्निशियन)	01	00	00	00	00	01	00
सहायक उप निरीक्षक (लैब टेकनीशियन)	04	00	01	00	00	05	00
कुल	**15**	**01**	**05**	**02**	**01**	**24**	**02**

(उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम हैं: ई डब्लयू एस – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अ0पि0व0 – अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु0 जाति – अनुसूचित जाति,)

3.1 ऊपर दी गई रिक्तियों की संख्या संभावित है और प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी समय/चरण में बढ़ या घट सकती है। रिक्तियों में संशोधन, यदि कोई हो, को अंतिम परिणाम घोषित होने से पूर्व किसी भी चरण में केऔसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.cisf.gov.in पर प्रदर्शित करके अधिसूचित किया जाएगा।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार है।

4. **<u>मुख्य विशेषताएं:</u>**

4.1 आवेदन केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.cisf.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। अन्य किसी माध्यम से आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं है।

4.2 भर्ती निम्नलिखित चरणों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को भर्ती के निम्नलिखित चरणों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से केवल सीआईएसएफ भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर ही डाउनलोड करने की सुविधा के साथ जारी किया जाएगा, इसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा :–

क) ओएमआर/सीबीटी मोड की लिखित परीक्षा द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी के होगी।

ख) पीएसटी, दस्तावेज जांच व सामान्य व्यवसाचिक अभिरूचि परीक्षा (बीएवीटी) और मेडीकल परीक्षा (विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/समीक्षा चिकित्सा परीक्षा)

टिप्पणी: **क एवं ख पर उल्लेखित दो चरणों का कम प्रशासनिक कारणों/ मौजूदा परिस्थितियों के कारण केऔसुब के विवेकानुसार अंतरपरिवर्तित किया जा सकता है।**

4.3 पद वर्दीधारी और पूर्ण रूप से अस्थायी प्रकृति के हैं लेकिन स्थायी होने की संभावना है।

4.4 नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार भारतीय क्षेत्र और विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी

होंगे।

4.5 लिखित परीक्षा (सीबीटी/ओएमआर) में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पीएसटी, दस्तावेज जांच व सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी) और मेडिकल परीक्षा (विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/समीक्षा चिकित्सा परीक्षा) में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। **इस चरण के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का लगभग 5 (पांच) गुना होगी।**

4.6 भर्ती के अगले चरण के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची केऔसुब भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर अपलोड की जाएगी।

4.7 लिखित परीक्षा (सीबीटी/ओएमआर), पीएसटी, दस्तावेज जांच व सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी) और मेडिकल परीक्षा (विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/समीक्षा चिकित्सा परीक्षा) पूर्ण होने के बाद, अंतिम चयन सूची अधिसूचित रिक्तियों के बराबर लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

5. **पात्रता मानदंड :**

5.1 प्रत्यक्ष उम्मीदवारों के लिए

अ) आयु

1.	सहायक उप निरीक्षक (फार्मासिस्ट)	**18 से 28 वर्ष के बीच**
2.	सहायक उप निरीक्षक (एक्स–रे टेक्निशियन)	
3.	सहायक उप निरीक्षक (लैब टेक्निशियन)	

5.1.1 आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण कट–ऑफ तिथि उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी **07/07/2026** होगी।

5.1.2 उपरोक्त के अलावा, समय–समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष की छूट दी गई है।

5.1.3 केंद्र सरकार के विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष है, बशर्ते कि उन्होंने न्यूनतम 03 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो, अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी की हो, दंड मुक्त रिकॉर्ड बनाए रखा हो और पूरी सेवा के दौरान न्यूनतम वार्षिक ग्रेडिंग "औसत" से अधिक हो।

5.1.4 **अयोग्यता:**

क) कोई भी उम्मीदवार,

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, जिसका पहले से ही जीवित जीवनसाथी हैं, या

(ख) किसी व्यक्ति ने जिसका पहले से ही जीवित जीवनसाथी है **फिर भी किसी अन्य व्यक्ति** के साथ विवाह किया है, या अनुबंध किया है,

सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो जाती है कि

ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

ख) सरकारी सेवा से बर्खास्तगी।

5.2 **शैक्षणिक योग्यता :**

सहायक उप निरीक्षक (फार्मासिस्ट)	1. उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री । 3. फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत "फार्मासिस्ट" के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
सहायक उप निरीक्षक (एक्स–रे टेक्निशियन)	1. उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में 02 साल का डिप्लोमा।
सहायक उप निरीक्षक (लैब टेक्निशियन)	1. उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. किसी भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी (मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नॉलॉजी) में 02 साल का डिप्लोमा।

नोटः राज्य बोर्ड /केन्द्रीय बोर्ड के अलावा अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र भारत सरकार की अधिसूचना के साथ होना चाहिए जिसमें यह घोषणा की गई हो कि ऐसी योग्यता केंद्र सरकार के तहत सेवा के लिए मीट्रिक/10 वीं कक्षा पास या 12वीं कक्षा के बराबर है।

5.3 **शारीरिक मानक :**

क्रम संख्या	**श्रेणी**	**पुरूष**		**महिला**	
		लंबाई	**सीना**	**लंबाई**	**सीना**
क)	सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए (नीचे (ख) को छोड़कर)	170 सेमी	80 – 85 सेमी	157 सेमी	लागू नहीं
ख)	**मानको में छूटः–**				
	1. गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम की श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों के संबंध में परिशिष्ट–घ के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन	165 सेमी	80 – 85 सेमी	155 सेमी	लागू नहीं
	2. अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड,				

	सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू व कश्मीर राज्यों के रहने वाले व्यक्तियों को परिशिष्ट– घ के अनुसार प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन				
पैरा 5.3 (ख) (1) और (2) में उपरोक्त मानक सभी श्रेणियों यानी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए लागू होंगे।					
ग)	अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार।	162.5 सेमी	77 – 82 सेमी	154 सेमी	लागू नहीं

5.4 **चिकित्सा मानक :**

5.4.1 चयनित किए गए उम्मीदवारों की शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा सीएपीएफ और एआर में राजपत्रित व अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए, गृह मंत्रालय के यूओ संख्या -A. VI-1/2014-Rectt(SSB) दिनांक 20 मई 2015 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या E-32012/A/ADG(Med)/DME & RME/DA-1/2020 (Part File)/1166 दिनांक 31 मई 2021 के माध्यम से जारी, समान दिशा–निर्देशों और शारीरिक और चिकित्सा मूल्यांकन के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

5.4.2 **वजनः** चिकित्सा मानक के अनुसार लंबाई और उम्र के अनुपात में होना चाहिए। वजन शारीरिक माप के समय दर्ज किया जाएगा लेकिन वजन के आधार पर फिटनेस पर निर्णय चिकित्सा परीक्षा के समय लिया जाएगा।

5.4.3 उम्मीदवार के घुटनों में टकराव, समतल पैर, वैरिकोज वेंस और आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए।

5.4.4 **टैटू :** टैटू की अनुमेयता को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैंः–

क) **सामग्री** : भारतीय सेना में पालन किए जाने वाले धार्मिक चिह्न अथवा आकृतियां अथवा नाम को दर्शाने वाले टैट्, अनुमत होंगे।

ख) **स्थान** : शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैट्, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग, गैर सलामी अंग या हाथों के पृष्ठ पर होने के कारण अनुमति है।

ग) **आकार** : शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) से 1/4 से कम होना चाहिए।

6 **भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड :**

6.1 भूतपूर्व सैनिक जो सेना में नायब सूबेदार हैं या वायु सेना/नौसेना में समकक्ष रैंक हैं और फार्मासिस्ट ट्रेड से हैं, वे सहायक उप निरीक्षक (फार्मासिस्ट) के पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

सेना/वायु सेना/नौसेना में उच्च रैंक रखने वाले और अपेक्षित ट्रेड के भूतपूर्व सैनिक भी निचले पद के

लिए इस भर्ती में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और साथ ही वे लिखित रूप में अपनी इच्छा प्रस्तुत करेंगे कि उनके चयन की स्थिति में वे रक्षा बलों में अपने रैंक के समतुल्य पद का दावा नहीं करेंगे।

एक ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है:–

क) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक (चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी) में सेवा की हो; और

(1) जो चाहे स्वयं के अनुरोध पर अथवा नियोक्ता से ऐसी सेवा से पेंशन लेने के पश्चात सेवानिवृत, कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिए गए हों; अथवा

(2) जो रक्षा सेवा पर आरोपणीय चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हों; अथवा

(3) जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किये गए हों; अथवा

ख) जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामतः निरन्तर सेवा वाले अथवा सतत् अर्हक सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं अथवा

ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; अथवा

घ) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; अथवा

ड.) क्षेत्रीय सेना कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता; अथवा

च) चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त पूर्व रंगरूट।

6.2 **आयुः** उन्हें अपनी वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने की अनुमति दी जाएगी और परिणामी आयु इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6.4 **शैक्षणिक योग्यताः**

सहायक उप निरीक्षक (फार्मासिस्ट)	1. संघ के सशस्त्र बलों के साथ अंतिम तिथि को न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा के साथ सेना/वायु सेना/नौसेना का 12वी कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र। 2. मान्यता प्राप्त केंद्र/राज्य सरकार संस्थान या सेना विश्वविद्यालय, पुणे से फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री।

6.5 **मुक्ति के समय चरित्र :**
अनुकरणीय/बहुत अच्छा। दस्तावेज की जांच के समय मुक्ति प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की जा सकती है।

6.6 **चिकित्सा श्रेणी :**

मुक्ति के समय "A" (AYE) या "SHAPE-1" होना चाहिए। उन्हें उसी चिकित्सा मानक के अनुसार होना चाहिए जो सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित हैं।

6.7 अन्य पात्रता शर्तें वही होंगी जो पात्रता मानदंडों के तहत उल्लिखित अन्य पर लागू होती हैं।

नोट – 1 : भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुनः रोजगार के लिए पूर्व सैनिक को दिए गए आरक्षण का लाभ प्राप्तकर नियमित आधार पर समूह ग व घ पद पर केंद्र सरकार के तहत सिविल प्रकृति का रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क रियायत के लिए पात्र नहीं हैं । हालांकि, वह बाद के रोजगार के लिए ईएसएम के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है यदि उसने सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, संबंधित नियोक्ता को सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए दिए गए आवेदनों के तिथि–वार विवरण के बारे में स्व–घोषणा/वचन दिया हो, जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14.08.2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014–स्था (आरईएस) में उल्लिखित है।

नोट – 2 : सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सेवा" की अवधि को आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में भी माना जाएगा।

नोट – 3 : संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित, पद/सेवा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के समय भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि वह इस स्थिति में है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि अर्थात **07/07/2026** के एक वर्ष अंदर सशस्त्र बलों के साथ जुड़ाव (Engagement) की निर्धारित अवधि को पूरा कर लेगा।

नोट – 4 : भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए आयु में छुट लागू नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रुप में नहीं दर्शानी चाहिए।

नोट – 5 : भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय नागरिक सेवा और पदों में पुनः तैनाती) संशोधन नियमावली, 2012 में यथा उल्लिखित भूतपूर्व सैनिकों की पुनः तैनाती के लिए अन्य नियम और शर्तों के साथ–साथ समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा–निर्देश भी लागू होंगे।

नोट – 6 : भूतपूर्व सैनिकों को पीएसटी के समय मौजूद रहना होगा ताकि वे अपने माप, दस्तावेजीकरण को रिकार्ड करवा सकें और अपने शैक्षिक प्रमाण–पत्रों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें। इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी नहीं करवाई जाएगी। तथापि, उन्हें ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच में भी उपस्थित रहना होगा और उत्तीर्ण करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन उनकी शारीरिक एवं चिकित्सीय फिटनेस की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 20.05.2015 के यूओ संख्या ए. VI–1/2014–भर्ती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई.–32012/एडीजी(मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1/2020 (पार्ट फाइल)/1166 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसरण में किया जाएगा। उसे उसमें वर्णित चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।

नोट – 7 : संघ के सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत होने पर 'भूतपूर्व सैनिक' की श्रेणी में आते हैं, वे सेवा की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी छूटों का लाभ ले

सकते हैं परंतु वे संघ के सशस्त्र बलों की सेवा की विशिष्ट शर्तों को जब तक पूरा न कर दें उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित कमान्डिंग अधिकारी से **अनुलग्नक –'VIII'** के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7 **प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण–पत्रों का प्रपत्र :**

7.1 वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं/अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/ भूतपूर्व सैनिक के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा। प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र इस अधिसूचना के साथ संलग्न हैं।

7.2 ओबीसी के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है और वह महत्वपूर्ण कट–ऑफ तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता है।

7.3 ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, प्राप्त किया जा सकता है। आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की महत्वपूर्ण कट–ऑफ तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी **07/07/2026** होगी।

7.4 उपरोक्त के संबंध में, अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि संबंधित दस्तावेज की सत्यता नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से जांच किए जाने तक उनकी अभ्यर्थिता अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी यदि वे धोखे से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस का दावा करते हैं अथवा अन्य लाभ उठाते हैं।अभ्यर्थियों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उन्हें परीक्षा से स्थाई रूप से वंचित कर दिया जाएगा यदि वे धोखे से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक का दावा करते हैं।

7.5 पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) जो कि जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे हैं परंतु जिन्हे राज्य के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के नामित प्राधिकारी से अधिवास प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की शर्त के बगैर भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थी के गांव के सरपंच/नंबरदार द्वारा **अनुलग्नक** –XII के अनुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी श्रेणी से संबंध रखता है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (चूंकि वे राज्य विधान सभा में वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं) में चुनाव के लिए मतदाता सूची में अभ्यर्थी का नाम दर्शाने वाली मतदाता सूची की एक प्रति के साथ को भर्ती के लिए उसके पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के प्रमाण के रूप मे माना जाएगा। जहां तक उपरोक्त शरणार्थियों से उनके अनुसूचित जनजातियों के होने का संबंध है, राज्य सरकार ने पहले ही उनके अनुसूचित जाति की स्थिति को दर्शाते हुए और विशिष्ट रूप से यह दर्शाते हुए कि अभ्यर्थी राज्य का स्थायी नागरिक नहीं है, परंतु साधारणतः गांव में रह रहा है, के प्रमाण–पत्र जारी कर दिए हैं। इन प्रमाण–पत्रों को तदनुसार उनकी अनुसूचित जाति के पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

8. **आवेदन कैसे करें** :–

8.1 आवेदन पत्रों को केऔसुब की वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in पर ही ऑनलाइन तरीके से प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत दिशा–निर्देशों के लिए, कृपया इस अधिसूचना के **अनुलगनक–I** को देखें। आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है।

8.2 प्रत्येक भर्ती खंड के तहत आने वाले राज्य/संघ क्षेत्र के नाम के विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	भर्ती खंड का नाम	आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र के नाम पते सहित
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं राजस्थान	उत्तरी खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (उत्तरी क्षेत्र) मुख्यालय, केऔसुब परिसर, पोस्ट–महिपालपुर, नई दिल्ली–110037 (ई मेल आई डी : dignz@cisf.gov.in)
2.	दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरखंड	एनसीआर खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय, केऔसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी, पोस्ट–शिप्रा सन सिटी, जिला–गाजियाबाद, राज्य–उत्तर प्रदेश–201014 (ई मेल आई डी : rrc-ncrzone@cisf.gov.in)
3.	दादरा व नगर हवेली एवं दमण व दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	पश्चिमी खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केऔसुब परिसर, सेक्टर–35, खारघर, नवी मुंबई – 410 210 (ई मेल आई डी : digwz@cisf.gov.in)
4.	छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश	मध्य खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट–उतई, जिला–दुर्ग, राज्य–छत्तीसगढ़ – 491107 (ई मेल आई डी : digcz@cisf.gov.in)
5.	बिहार एवं झारखंड	पूर्वी खंड	वरिष्ठ कमाण्डेन्ट, केऔसुब द्वितीय आरक्षित वाहिनी, पोस्ट : धुर्वा, जिला : रांची, राज्य : झारखंड – 834004 (ई मेल आई डी : rb-2nd@cisf.gov.in)
6.	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, तमिलनाडू एवं तेलंगाना।	दक्षिणी खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (दक्षिणी क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्त नगर, चेन्नै, तमिलनाडू – 600090 (ई मेल आई डी : digsz@cisf.gov.in)
7.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, ओडीशा एवं पश्चिम बंगाल	उत्तरी पूर्वी खंड – II	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र–2) मुख्यालय, परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), कोलकाता – 107 (ई मेल आई डी : dig-sez@cisf.gov.in)
8.	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा	उत्तरी पूर्वी खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र) मुख्यालय, बेहरबारी, ए. जी. कॉलोनी के नजदीक, हॉकी स्टेडियम रोड, पोस्ट–बसिस्ठा, जिला–कामरूप, असम–781029 (ई मेल आई डी : dignez@cisf.gov.in)

8.3 ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय **07/07/2026 (23:59 बजे)** है।

8.4 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करें।, किसी उम्मीदवार से कई आवेदनों की प्राप्ति के मामले में, सबसे पहले प्राप्त हुआ आवेदन प्रक्रिया में लाया जाएगा।

8.5 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदन किए गए पद के लिए कट–ऑफ तिथि यानी **07/07/2026** तक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते है और उन्होंने आवेदन में पूरा और सही विवरण भरा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध जैसे डाक, फैक्स, ई–मेल, हाथ से आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.6 अभ्यर्थियों को ऑन लाईन आवेदन में स्वयं का सही एवं सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरने की सलाह दी जाती है। क्योंकि भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना उन्हें एसएमएस अथवा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

8.7 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और वे अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित विच्छेदता/लॉग–इन न होना अथवा लॉग–इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें।

9 <u>आवेदन शुल्क</u> :

9.1 सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों से आवेदन **शुल्क / 100/– (रुपये एक सौ मात्र**) लिया जाएगा। महिला उम्मीदवारों एवं आरक्षण के लिए पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईएसएम से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

9.2 शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा रूपे कार्ड और यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। उपर बताए गए तरीके के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.3 ऑनलाइन शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों द्वारा **07/07/2026** (2359 बजे) तक किया जा सकता है। हालांकि, जो उम्मीदवार एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे **09/07/2026** तक बैंक के कार्यकाल के भीतर एसबीआई की शाखाओं में नकद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते चालान उनके द्वारा **07/07/2026** (2359 बजे) से पहले जनरेट किया गया हो।

9.4 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

9.5 बैंक के लिए यथालागू शुल्क के अलावा प्रशुल्क/कर प्रभार को उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।

10. **<u>परीक्षा में प्रवेश</u>**

10.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं का पंजीकरण करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें लिखित परीक्षा में बुलाने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

10.2 लिखित परीक्षा, पीएसटी/दस्तावेज और सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी) और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा केऔसुब भर्ती वेबसाइट यानी https://cisfrectt.cisf.gov.in पर पहले से ही उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल/केंद्र में लाना होगा।

10.3 वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में, उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, पीएसटी /दस्तावेज जांच और सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी) और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/ आरएमई) से कम से कम एक सप्ताह पहले केऔसुब से संपर्क करना चाहिए।

10.4 प्रवेश पत्र के अलावा, चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं) हो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली–भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला अन्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

10.5 प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठते समय लाना होगा।

11. लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी):

लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसे दो घंटे की अवधि में पूरा किया जाएगा। पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा तथा ओएमआर/सीबीटी आधारित होगा जिसमें **संबंधित ट्रेडों में उम्मीदवारों के ज्ञान का परीक्षण** किया जाएगा।

11.1 परीक्षा की तिथि की जानकारी उम्मीदवारों को केऔसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in के माध्यम से ही दी जाएगी। लिखित परीक्षा/केंद्र की तारीख बदलने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

11.2 लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन /पुनः जांच या लिखित परीक्षा के पुर्नआयोजन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.3 लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) की संभावित उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद https://cisfrectt.cisf.gov.in केऔसुब की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उम्मीदवार उत्तर कुंजी से मिलान कर सकते हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन अभ्यावेदन, यदि कोई हो, जमा कर सकते हैं। किसी भी अन्य मोड जैसे पत्र, आवेदन आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों के पैनल द्वारा उत्तर कुंजी के बारे में अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और इस संबंध में विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम होगा।

11.4 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, उम्मीदवारों को इन उपकरणों को परीक्षा परिसर के अंदर नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं को पास रखना, चाहे वह उपयोग में हो या नहीं, परीक्षा में **"अनुचित साधनों का उपयोग"** माना जाएगा और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

11.5 यदि लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) दो या दो से अधिक पारियों में आयोजित की जाती है, तो उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा और इस तरह के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अगले चरण की योग्यता के लिए मेरिट सूची और कट–ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

11.6 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा केवल ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

12. <u>शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी) और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई)</u>

12.1 शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)

12.1.1 लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले और शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी) और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई /आरएमई) के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों की अधिकारियों के बोर्ड द्वारा लंबाई, सीना और वजन की जांच की जाएगी। पदवार शारीरिक मानकों का पैरा 5.3 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

12.1.2 लंबाई और सीने (जैसा भी मामला हो) में छूट की अनुमति, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल पीएसटी के समय, निवास जिले के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा परिशिष्ट–घ में निर्धारित प्रारूप में जारी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके ही छूट का लाभ उठा सकते हैं।

12.1.3 **जिन उम्मीदवारों को शारीरिक मानकों यानी लंबाई और सीने की माप में योग्य घोषित नहीं किया गया है, वे उसी दिन पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद इस संबंध में किसी और अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

12.1.4 **जो उम्मीदवार निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें रिजेक्सन स्लिप देकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि, वजन के आधार पर अयोग्यता के मामले में चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के समय विचार किया जाएगा।** शारीरिक मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

12.2 दस्तावेजीकरण

12.2.1 पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के निम्नलिखित मूल साक्ष्य/दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जो उम्मीदवार अपेक्षित मूल साक्ष्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा रिजेक्सन स्लिप देकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

क) शैक्षिक प्रमाण पत्र।
ख) जन्मतिथि प्रमाण पत्र। (मैट्रिकुलेशन या 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र)

ग) एससी/एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यह क्रमशः **परिशिष्ट क , ख और ग** में निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन/नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित तरीके से नहीं हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ) गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार लंबाई और सीने में छूट के लिए अनुरोध करते हैं, उन्हें **परिशिष्ट – घ** में दिए गए प्रोफार्मा/प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों को लंबाई और सीने में छूट के लिए , निवास जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास/पीआरसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ड.) केऔसुब उम्मीदवारों सहित विभागीय उम्मीदवारों को **परिशिष्ट–ङ** के अनुसार अपने नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

च) सेवारत रक्षा कर्मियों के मामले में मुक्ति प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र और वचन पत्र **परिशिष्ट–च** के अनुसार।

छ) भूतपूर्व सैनिक कोटे में आवेदन करने वाले सेवारत कार्मिकों को **परिशिष्ट–छ** में दिए गए प्रोफार्मा/प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ज) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में **परिशिष्ट–ज** में निर्धारित प्रारूप में वचनबद्धता।

झ) जम्मू–कश्मीर राज्य में रहने वाले डब्ल्यूपीआर (पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी) के लिए **परिशिष्ट–झ** के अनुसार पहचान प्रमाण पत्र और चुनाव के लिए मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम दर्शाने वाली मतदाता सूची की एक प्रति।

ञ) उम्मीदवार के तारीख छपे हुए पासपोर्ट आकार के हाल के ही चार रंगीन फोटो **(यानी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)।**

ट) मूल प्रमाण पत्र के अलावा, उम्मीदवार शैक्षिक, आयु प्रमाण, जाति, ड्राइविंग लाइसेंस और निवास/पीआरसी आदि की स्व–सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट भी लाएंगे।

ठ) उम्मीदवारों को फोटोयुक्त पहचान प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, मूल रूप से आयकर पैन कार्ड, जिसका उन्होंने आवेदन पत्र भरते समय उल्लेख किया हो/ भरा हो साथ लाना चाहिए।

ड) उम्मीदवारों की पहचान अधिकारियों के बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा, पीएसटी, दस्तावेज जांच और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय, प्रवेश पत्र के साथ–साथ पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र या उनके द्वारा प्रस्तुत आयकर पैन कार्ड नंबर के आधार पर की जाएगी। **सभी उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स (एलटीआई/आरटीआई/फिंगर्स इंप्रेशन) को पीएसटी, दस्तावेजीकरण, बीवीएटी से पूर्व पंजीकृत किया जाएगा जिसका भर्ती के सभी आगे के चरणों में उपयोग किया जाएगा।**

12.3 सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी)

12.3.1 पीएसटी और दस्तावेजीकरण के पूरा होने के बाद, नौकरी के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए पीएसटी और प्रलेखन में अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों की सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा आयोजित की जाएगी।

12.3.2 सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।

13. <u>चिकित्सा परीक्षा :</u>

13.1 केवल उन उम्मीदवारों को जिन्होंने शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज जांच, सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी) में अर्हता प्राप्त की है, उन्हें चिकित्सा परीक्षा

(डीएमई / आरएमई) में उपस्थित होना आवश्यक होगा। **हालांकि, चिकित्सा परीक्षा (डीएमई / आरएमई) में बुलाया जाना और फिट फिट घोषित किया जाना उन्हें अंतिम चयन का अधिकार नहीं देता है। अतः केवल इस आधार पर चयन के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।**

13.2 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी। शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI–1 / 2014–भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012 / एडीजी(मेडि) / डीएमई एण्ड आरएमई / डीए–1 / 2020 (पार्ट फाईल) / 1 / 1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी।

13.3 उम्मीदवारों को फिट या अनफिट घोषित किया जाएगा। **किसी भी उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा।**

13.4 सभी मामलों में, एक अभ्यर्थी जिसे चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित किया गया है, को जांच चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में व्यापक रूप से अस्वीकृति के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों का संकेत देते हुए अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें। अभ्यर्थियों का आरएमई डीएमई के अगले दिन अधिमानतः डीएमई की निरंतरता में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमति, अभ्यर्थी द्वारा डीएमई में अपनी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

14. <u>अंतिम चयन सूची तैयार किया जाना</u>

14.1 **लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज जांच, सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी) और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई / आरएमई) के पूरा होने के बाद, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम के लिए श्रेणीवार मेरिट सूची उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के आधार पर अलग से तैयार की जाएगी।**

14.2 **<u>टाई मामलों का समाधान</u>** : लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों के बराबर होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान दिए गए क्रम में एक के बाद एक, निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके हल किया जाएगा, जब तक कि टाई का समाधान नहीं हो जाताः

i) अभ्यर्थियों की उम्र का हवाला देकर अंकों में टाई को हल किया जाएगा अर्थात् ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी;

ii) यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है तो अभ्यर्थियों की लम्बाई की तुलना करके समाधान किया जाएगा अर्थात् जिस अभ्यर्थी की लम्बाई अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी;

iii) यदि फिर भी बराबरी रहती है तो इसका समाधान अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता के द्वारा किया जाएगा अर्थात् उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

iv) यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है तो अंततः नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार समाधान किया जाएगा अर्थातः वर्णानुक्रम (अंग्रेजी) के अनुसार जिस अभ्यर्थी के नाम का पहला अक्षर दूसरे अभ्यर्थी के नाम के पहले अक्षर से पहले आएगा उसे वरीयता दी जाएगी।

14.3 बशर्ते अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. और ईडब्लूएस. के अभ्यर्थी जो बिना छूट के अपनी मैरिट सूची मे चयनित होता है, वह रिक्तियों के आरिक्षत हिस्से के तहत समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अ.जा./अ.ज.जा/ अ.पि.व. और ईडब्लूएस. अभ्यर्थियों को समस्त मैरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को योग्य अजा/अजजा, अ.पि.व और ईडब्लूएस. के अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा, जो कि इस प्रकार अजा, अजजा, अ.पि.व और ईडब्लूएस. के अभ्यर्थी जिनकी मैरिट अनारिक्षत वर्ग की मैरिट सूची के अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से कम होगी लेकिन वह आरक्षित मानकों द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता हो।

14.4 परीक्षा में सफलता नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करती है, जब तक कि सरकार इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाती है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14.5 अंतिम परिणाम केऔसुब की भती वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.cisf.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।

टिप्पणी. 1) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे **कट–ऑफ तिथि यानी परीक्षा में प्रवेश के लिए इस नोटिस की अंतिम तिथि के अनुसार सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं** । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। यदि, सत्यापन पर, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज जांच, सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी), चिकित्सा परीक्षा (डीएमई ध् आरएमई) से पहले या बाद में किसी भी समय, यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी विभाग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

2) **यदि कोई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद किसी भी आधार पर अयोग्य पाया जाता है या तथ्यों को छुपाता है, तो उसकी उम्मीदवारी/चयन/नियुक्ति तदनुसार रद्द कर दी जाएगी।**

3) **कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाएगी।**

15 <u>निर्णय :</u>

पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन प्रक्रिया, परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केन्द्रो का आबंटन और मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों मे बोर्ड/विभाग के निर्णय अंतिम होंगे और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे तथा इस संबंध में कोई जांच पड़ताल/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

16 <u>न्यायालय क्षेत्राधिकार :</u>

इस भर्ती के संबंध में कोई विवाद उस न्यायालय /अधिकरण के अधीन होगा जिसका अधिकार क्षेत्र केऔसुब का भर्ती केन्द्र उस शहर/कस्बे में स्थापित हो अथवा जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जमा करवाया है।

17 <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपर्ण दिशा–निर्देश</u> :

17.1 **दिव्यांग व्यक्ति (पी.डब्ल्यू.डी) इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

17.2 **अभ्यर्थियों कों अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम अपने दसवीं के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिखना चाहिए अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता दस्तावेजों की जांच के बाद या फिर जब कभी नोटिस में आएगा तो रद्द कर दी जाएगी।**

17.3 अपूर्ण सूचना/गलत सूचना/अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने/अहस्ताक्षरित छोड़ देने/ देय शुल्क के बिना जमा करने के कारण आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

17.4 किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

17.5 उम्मीदवार किसी भी जानकारी के लिए जैसे आवेदन भरने, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज जांच, सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा (बीवीएटी), चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) आदि के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 011–24366431/24307933 (केवल कार्य दिवसों पर 1000 से 1800 बजे) पर संपर्क कर सकते हैं।

17.6 उम्मीदवारों को किसी भी पत्राचार में नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल–आईडी और मोबाइल नंबर लिखना होगा। इन विवरणों को प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

17.7 भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 2–3 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होना चाहिए। **यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।**

17.8 अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।

17.9 किसी भी प्रकार का अनुयाचन अथवा किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने पर अभ्यर्थियों को स्वतः ही बिना किसी सूचना के परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

17.10 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षा केंद्रों के आवंटन, चिकित्सा परीक्षा आदि से संबंधित सभी मामलों में विभाग का निर्णय उम्मीदवारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

17.11 यदि कोई उम्मीदवार अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अनफिट/अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।

17.12 यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता हैं तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वह उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

17.13 **केऔसुब के महानिदेशक बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।**

17.14 **इस नोटिस में रेखांकित निर्देशो के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

17.15 भर्ती के विभिन्न चरणों में सफलता नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि विभाग विस्तृत चिकित्सा परीक्षा और अन्य आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा/पद पर नियुक्ति हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त है।

17.16 चयनित अभ्यर्थियों को केऔसुब के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में बुनियादी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा जिसके लिए उन्हें अलग से नियुक्ति पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। वे 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होंगे जिसे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि वे किसी कारण से अनफिट पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

17.17 इस भर्ती के बारे में नियमित अपडेट के लिए कृपया https://cisfrectt.cisf.gov.in पर विजिट करें।

दलालों से सावधान रहें। केऔसुब में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है, तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें या ई–मेल के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम ac-rectt@cisf.gov.in पर सूचित करें।

::xxxx::

(ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

<table>
<tr><td>I.</td><td>वन टाइम रजिस्ट्रेशन</td></tr>
<tr><td>II.</td><td>परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>भाग –1 (वन टाइम रजिस्ट्रेशन)</u>
अभ्यर्थी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक स्थायी डेटाबेस होगा। केऔसुब द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन 'पंजीकरण फॉर्म' और 'आवेदन पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले निम्न सूचना/दस्तावेजों को तैयार रखें –
(क) मोबाइल न. (ख) ई–मेल आईडी</td></tr>
<tr><td colspan="2">पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें :–</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर लॉग ऑन करें।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>नया पेज प्रदर्शित होगा। "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:</td></tr>
<tr><td></td><td>क. मूल विवरण
ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण
ग. घोषणा।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>'वन टाइमरजिस्ट्रेशन फॉर्म' भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:</td></tr>
<tr><td>क.</td><td>व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के संबंधित कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डाटा कॉलम के आंकड़ों सें मेल नही है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक अलग संकेत बाक्स दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>ख.</td><td>अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं । यदि, मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें।</td></tr>
<tr><td>ग.</td><td>अपने पिता का नाम ठीक से भरें।</td></tr>
<tr><td>घ.</td><td>अपनी माता का नाम ठीक से भरें।</td></tr>
<tr><td>ड़.</td><td>अपनी जन्मतिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है।</td></tr>
<tr><td>च.</td><td>अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें।</td></tr>
<tr><td>छ.</td><td>सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।</td></tr>
<tr><td>ज.</td><td>अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें।</td></tr>
<tr><td>झ.</td><td>अपना क्रियाशील मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी भरें। यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल–आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>ञ.</td><td>'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो 'फाइनल सबमिट' बटन पर क्लिक करें।</td></tr>
<tr><td>ट</td><td>पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>ठ.</td><td>अपनी पंजीकरण–संख्या का ''यूजरनेम'' के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए ''ऑटो–जेनरेटेड पासवर्ड'' का उपयोग करके लॉगिन करें।</td></tr>
<tr><td>fVIi.kh</td><td>आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरा जाना चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है। त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।</td></tr>
</table>

भाग–II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें :

क) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (**अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)**। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे।**

ख) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

ग) पीडीएफ प्रारूप में सभी संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां **(01 एमबी से अधिक नहीं),** उम्र के संबंध में (अर्थात जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक / एसएसएलसी/10 वीं प्रमाण पत्र, मूल निवास और अन्य शैक्षणिक योग्यता की तारीख) अपलोड करें ।

2. पंजीकृत उम्मीदवार केऔसुब भर्ती वेबसाइट यानी **https://cisfrectt.cisf.gov.in** में पंजीकरण के समय उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अपने अनंतिम पंजीकरण आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आनलाईन सिस्टम मे लॉग इन करें और **"केऔसुब मे पैरामेडीकल स्टॉफ की भर्ती – 2026"** टैब पर क्लिक करें।

3. नया पृष्ठ खुलेगा और आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

4. पंजीकृत अभ्यर्थी केऔसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात **https://cisfrectt.cisf.gov.in** में पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अपने अनंतिम 'पंजीकरण आईडी और पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं।

5. " **"केऔसुब मे पैरामेडीकल स्टॉफ की भर्ती – 2026"** के बटन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें आवेदन पत्र होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी द्वारा पहले भरा गया डेटा/विवरण, आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्रों में स्वतः भर जाएगा। शेष खाली क्षेत्र अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण बहुत सावधानी से भरें।

6. अभ्यर्थी द्वारा एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भरे जाने के बाद, उसे नीचे की तरफ दो बटन **"सेव एंड प्रीव्यू"** और **बंद करें** दिखाई देंगे, यदि अभ्यर्थी **बंद** करें बटन पर क्लिक करता है तो वह आवेदन पत्र को संपादित कर सकेगा। कोई विवरण सहेजा नहीं जाएगा । ।

7. एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और **"सबमिट"** बटन पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह आपके द्वारा भरे गए सभी डेटा/विवरणों को सहेज लेगा।

8. **उपरोक्त क्र.सं.–1(क) में यथा विनिर्दिष्ट, अपना हाल का फोटो अपलोड करें जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह अधिक पुरानी न हो) ।**

9. **क्रमांक संख्या– 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

10. **आयु के प्रमाण के लिए मैट्रिक/एसएसएलसी/10वीं प्रमाणपत्र, वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा/12वीं प्रमाणपत्र, मूल निवास और कोई अन्य उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की स्कैन की हुई क्र.सं.–1(ग) में यथा विनिर्दिष्ट, प्रति अपलोड करें ।**

11. सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन पर भुगतान करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें।

12. अब **'भुगतान'** विंडो दिखेगी। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि **आप शुल्क छूट के पात्र हैं** और उन्हें '**आवेदन प्रिंट** करें' का विकल्प मिलेगा।

13. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

14. शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फार्म प्राप्त होता है। चालान फार्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी हो जाती है। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और केऔसुबको भेजेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है।

15. भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं। उन्हें पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय अपनी पात्रता के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट जमा करना होगा।

चेतावनी :

(क) अभ्यर्थियों को सभी पंजीकृत डेटा को ध्यान से सत्यापित करना चाहिए। यदि किसी डेटा का गलत उल्लेख किया गया है, तो उसे'संपादित करें'' बटन पर क्लिक करके संपादित किया जा सकता है।

(ख). "सबमिट" बटन पर क्लिक करने पर, अब तक दर्ज किया गया डेटा/विवरण सर्वर में सहेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थी ''संपादित करें'' बटन पर क्लिक करता है, तो डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा और अभ्यर्थी पंजीकरण विंडो/प्रक्रिया से बाहर निकलने में सक्षम होगा।

परिशिष्ट–क

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* .... पुत्र/पुत्री श्री ....गॉव/नगर* .... जो जिला/खंड*.................... राज्य/संध शासित क्षेत्र* ....जाति/जनजाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में की गई है :–

@	''संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951*
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951*
	(जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियॉ (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)
@	'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
@	'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
@	'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@	'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@	'संवैधानिक (उतर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
@	'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
@	'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
@	'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@	'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@	'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@	'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990'
@	संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991
@	'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976

2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में अप्रवजन कर गए हों।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती' .... पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी' ....गांव/नगर''.............................जिला/खंड' ....राज्य/संधशासित क्षेत्र' ....जो कि ....जाति/जनजाति से संबंधित हों जिसे राज्य/संधशासित क्षेत्र....................................द्वारा जारी किए गए ....(जारी करने वाला प्राधिकृत प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या ....दिनांक ....को जारी किया गया है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी' .... और/अथवा/उसका' परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर'' ....जिला/खंड'........................राज्य/संधशासित क्षेत्र' ....में रहते है ।

स्थान.......................		हस्ताक्षर.........................
दिनांक		**पदनाम................................ (कार्यालय की मुहर सहित) राज्य/संघीय क्षेत्र ....

जो लागू न हो वे शब्द काट दिये जाये।

@कृप्या राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें ।

% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो ।

टिप्पणी : यहां ''साधारणतया'' शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

****अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।**

(i) जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)

(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।

(iv) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्यतः निवास करते हैं।

(v) प्रशासक/प्रशासन के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणीः–तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के आवेदक **केवल राजस्व प्रभाग अधिकारी द्वारा** जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

परिशिष्ट–ख

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री, श्री.. .... गांव /नगर..जिला/प्रभाग................................राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....................................के .... समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या ....दिनांक...... ....* के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी...और/अथवा उनका/उनके परिवार .... राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल... में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों **(क्रीमी लेयर)** से संबंधित नहीं है।

दिनांक.....................................

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि
(कार्यालय की मोहर सहित)

---

*प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

**समय समय पर यथा संशोधित।

टिप्पणी :– यहां ''साधारणतया'' शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

परिशिष्ट–ग

...सरकार
(प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्तियों का प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र सं.. **दिनांक..........................**

..................वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी....................................... ग्राम/गली.. डाकघर .... जिला.. पिन कोड.................... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उस पुरूष/महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष .... के लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। पुरूष/महिला के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई परिसंपत्ति नहीं है :–

I. 05 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी......................................जो..जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित........................
नाम...
पदनाम...

*** नोट** : 1. आय में सभी स्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं।

****नोट** : 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता–पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन साथ–साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

*****नोट** : 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है।

 # आय और परिसंपत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची :–

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और
(iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।

परिशिष्ट–घ

कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी .... पुत्र/पुत्री, श्री .... गांव....................................... तहसील/तालुका.............................. जिला............................. राज्य............. के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- ❖ भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासी (गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी) के रूप में जाने जाते हैं।

- ❖ व्ह.......... (हिमाचल प्रदेश/ जम्मू और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्र /पूर्वोत्तर राज्यों) से संबंधित है और उसके मामले में भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने में छूट देने पर विचार किया जाता है।

- ❖ वह ....जनजातीय समुदाय से संबंध रखता है और उसके मामले में भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने में छूट देने पर विचार किया जाता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक:... जिला मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

❖ जो लागू न हो उन्हें काट दें।

परिशिष्ट–ड.

सरकारी विभागों/उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

'' प्रमाणित किया जाता है कि विभाग/कार्यालय को श्री .... को केऔसुबमें .... के पद/पदों के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुनः यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....को आज तक कोई दंड (छोटा/बड़ा) नहीं दिया गया है और इस विभाग/कार्यालय में उनकी सेवा के दौरान उनका प्रदर्शन ''**औसत**'' से ऊपर रहा है।

हस्ताक्षर
कार्यालय प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी/
इकाई कमाण्डर का नाम और पदनाम

परिशिष्ट–च

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सिविल पदो ंके लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता का प्रारुप

मैं यह समझता हूँ कि यदि मेरा चयन भर्ती/परीक्षा के आधार पर, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है, हो जाता है तो मेरी नियुक्ति, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी। मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत मुक्त/सेवानिवृत/कार्यभार मुक्त कर दिया गया है और मैं समय–समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं एवं पदों पर पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 के अनुसरण में भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभों का हकदार हूँ।

2. मैं यह भी समझता हूँ कि मैं इस परीक्षा में शामिल भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी समय, भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू रिक्तियों के आरक्षण में छूट का लाभ उठाते हुए सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि) में कोई रोजगार प्राप्त किया है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान : ....
नाम ....
दिनांक :...................................

अनुलग्नक– छ

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण–पत्र का प्रारूप

मैं, एतद् द्वारा, उपलब्ध सूचना के साथ, प्रमाणित करता हूँ कि श्री... संख्या............................. पदनाम............................. नियुक्ति की निर्धारित अवधि को सशस्त्र बल में दिनांक .... को अपनी सेवा पूरा कर लेंगे।

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : ....
कार्यालय की मोहर
दिनांक :....................................

परिशिष्ट–ज

भूतपूर्व सैनिक द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता

मैं, ... जिसका अनुक्रमांक.................................... है... परीक्षा 20.... .... के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित रहूंगा।

(क) मैं समय–समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा और पद नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए जाने वाले लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए दिए गए आरक्षण के फायदों का लाभ लेने के बाद नियमित आधार पर सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित) किसी भी सरकारी नौकरी का लाभ नहीं लिया है।

(ग) मैंने सिविल सेवा में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैं ....के कार्यालय में दिनांक................................को .... के रूप शामिल हुआ हूँ। मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि मैंने उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन के तिथि–वार विवरण के बारे में अपने वर्तमान नियोक्ता को स्वघोषणा/वचनबद्धता प्रस्तुत कर दी है जिसके लिए मैंने वर्तमान नियोक्ता को ज्वाइन करने से पहले ही आवेदन किया था।

(घ) मैंने सिविल साइड में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ लिया है। मैंने................ ....के कार्यालय में दिनांक................................को ....के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए मैं केवल आयु में छूट के योग्य हूँ।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और पूर्णतः सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

हस्ताक्षर...
नाम...
अनुक्रमांक...
तिथि..
सशस्त्र बल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि............
कार्यमुक्ति की तिथि...
अंतिम इकाई/कॉर्पस्...
मोबाईल सं. ....
ई–मेल आईडी...

परिशिष्ट–झ

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार..का कार्यालय

फोटो

जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री, पत्नी श्री ....पूर्व में गांव .... तहसील...................................... जिला....................................., भारत विभाजन से पूर्व (अब पाकिस्तान) के निवासी थे। वर्तमान में मकान संख्या ....गली/लेन संख्या...................................... मोहल्ला.......................... गांव...................... तहसील... जिला.......................................में रह रहे हैं जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी है जो भारत–पाकिस्तान के 1947 के युद्ध पश्चात यहां विस्थापित हो गए हैं।

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार

CBC No.19113/11/0002/2627